कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com **Phone/Fax-2767611**

पत्रांकः– 2391 / **FP/UK/HYD/22889/2016** दिनॉकः देहरादून 18 मार्च, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून ।

विषयः– जनपद–उत्तरकाशी के अन्तर्गत सूपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल–सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में। **FP/UK/HYD/22889/2016**

सन्दर्भः–भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के **EDS** दिनांक 27.11.2020।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार की EDS 27.11.2020 के क्रम में चाही गयी सूचना उपनिदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

1. बिन्दु संख्या–1 प्रभागीय वनाधिकारी, टोन्स वन प्रभाग, पुरोला द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का स्वंय निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्रेषित की गयी है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
2. a. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि जखोली सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित होने वाली 22.067 है0 सिविल सोयम भूमि में प्रभावित वृक्षों की संख्या 1530 है जो कतिपय कारणों से अपलोड सूची में 1498 की गयी थी, उस संशोधित कर दिया गया है।

   b. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि वृक्षों की सूची आनलाईन पोर्टल पर एडिशनल डाक्यूमेंट में पुनः अपलोड कर दी गयी है।

   c. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित होने वाली 22.067 हे0 भूमि में प्रभावित वृक्षों की संख्या 1530 हे0 जो प्रति हे0 69 वृक्ष होती है, त्रुटिवश राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.06.2019 में बिन्दु संख्या 06 के द्वारा पातन होने वाली वृक्षों की संख्या 69 दर्शायी गयी है, जो कि प्रति है0 69 प्रभावित वृक्षों की संख्या होनी चाहिए तथा इसी के आधार पर वन घनत्व की गणना NPV Calculation के उददेश्य के लिए की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि प्रभावित होने वाली वृक्षों lopping/chopping होने वाले वृक्षों तथा कटान/पातन होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार एवं व्यासवार विवरण प्रेषित है तथा पार्ट–II के additional document में upload कर दिया गया है। टौन्स वन प्रभाग के अन्तर्गत 2.25 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है जिसमें कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है।
3. प्रस्तावित परियोजना में NBWL की संस्तुति ली गयी है एवं परियोजना का पूरा क्षेत्र गोविन्द वन्य जीव विहार के अन्तर्गत सिविल वन भूमि आता है एवं पार्ट–II के पैरा–8 (ii) में संशोधन कर नवीन NPV Sheet Upload कर दी गयी है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा) 18/3/24
प्रमुख वन संरक्षक
कार्या0–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक / / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून ।
2. उपनिदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्या0–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड,